प्रधान कार्यालय
जयपुर
आरबीई सं.–95/2014
दिनांक **17.09.2014**

संख्याः–66-E/0/QR/4

R.B.E.95/2014

मण्डल रेल प्रबंधक / कार्मिक– **जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर**
मुख्य कारखाना प्रबंधक– **अजमेर, जोधपुर, बीकानेर**
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक– **अजमेर, जोधपुर**
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / **निर्माण– जयपुर**
समस्त विभागाध्यक्ष / प्रका.–**जयपुर** ....

सचिव / महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक / सतर्कता प्रका.– **जयपुर**
मुख्य राजभाषा अधिकारी / प्रका.– **जयपुर**
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड– **अजमेर**
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान– **उदयपुर**
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र– **जोधपुर**
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.– **जयपुर**
सहायक सचिव / गोपनीय – महाप्रबंधक प्रका.– **जयपुर**
मुख्य खजांची रोकड एंव वेतन विभाग प्रका.– **जयपुर**
निजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.– **जयपुर.**

विषय–Permission to retain quarter at previous place of posting by the Railway personnel on their posting to Rangia Division in N.F.Railway.

संदर्भः- (i)रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या–E(G) 2007 QR1-5 Dated 05.09.2014.
(ii) Rly. Bd. letter No. E(G)2007QR 1-5 Dated 26.10.09 &This office letter of even number dated 16.11.2009 (RBE No. 189/2009)

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. .05.09.2014 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एंव सूचनार्थे प्रेषित की जा रही है।

सलंग्न– यथोक्त।

(दिलीप व्यास)
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

प्रतिलिपिः–

01.	महासचिव– एनडब्ल्यूआरईयू	15 प्रतियॉ।
02.	महासचिव– यूपीआरएमएस	15 प्रतियॉ।
03.	महासचिव– एससी / एसटी एसो.	05 प्रतियॉ।
04.	महासचिव– ओबीसी एसो.	05 प्रतियॉ।
05.	महासचिव– पदोन्नत अधिकारी एसो.	05 प्रतियॉ।
06.	महासचिव– एआई.आरपीएफ एसो.	05 प्रतियॉ।

RB-1725
12 SEP 2014

RBE NO:95 /2014

GOVERNMENT OF INDIA **(BHARAT SARKAR)**
MINISTRY OF RAILWAYS **(RAIL MANTRALAYA)**
(RAILWAY BOARD)

GM
EPC
Dy.PO(IR)
COS/EP

NO.E (G) 2007 QR1-5 **New Delhi, Dated: 05 /09/2014**

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units,
(*As per standard list*).

Sub: Permission to retain quarter at previous place of posting by the Railway personnel on their posting to Rangia Division in N.F.Railway.

Railway employees on their posting to Rangiya Division/N.F.Railway were allowed to retain Railway quarter at their previous stations up to 31.08.2009 vide Board's letter No. E(G) 2007/QR 1-5 dated 26-10-2009(RBE No.189/09).

2. Following receipt of references from both the Staff Federations i.e AIRF and NFIR and the discussions in the PNM meeting (vide Item No.47/2012 and Item No.30/2013 respectively) for allowing further retention of quarter beyond 31-08-2009 to the Railway officers/staff posted to Rangiya Division at their previous place of posting the matter was under consideration of Board for quite some time.

3. The Board, in exercise of its power to relax the existing provisions regarding allotment/retention of Railway quarter and the rent charged therefor, for a class of people, **has agreed to extend the relaxation ex Post facto** beyond 31-08-2009 **and up to 31-03-2015 on normal rent**

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Please acknowledge receipt.

(S.K.PANDA)
Deputy Director Estt.(Gen.)

NO:E(G) 2007 QR 1-5 **New Delhi, Date:05/09/2014**

1. FA&CAO, All Indian Railways and Production Units.
2. Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
3. Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi (copy with 46 spares).

For Financial Commissioner/Railways.

महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे
783
11 SEP 2014

Contd. in Page 2/-

आरबीई सं. 95/2014.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी)2007 क्यूआर1-5 **नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2014**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के रंगिया मंडल में तैनात रेलकर्मियों द्वारा पिछली तैनाती के स्थान पर क्वार्टर अपने पास रखने की अनुमति।

रंगिया मंडल/पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में तैनात रेल कर्मचारियों को बोर्ड के दिनांक 26.10.2009 के पत्र सं. ई(जी)2007/क्यूआर1-5 (आरबीई सं. 189/09) के तहत 31.08.2009 तक पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे क्वार्टर अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी।

2. रंगिया मंडल में तैनात रेल अधिकारियों/कर्मचारियों को 31.08.2009 के बाद अपनी पिछली तैनाती के स्थान पर क्वार्टर अपने पास पुनः रखने की अनुमति देने के संबंध में दोनों कर्मचारी संगठनों अर्थात् एआईआरएफ और एनएफआईआर से प्राप्त संदर्भों और पीएनएम बैठक में किए गए विचार-विमर्शों (क्रमशः मद सं.47/2012 और मद सं. 30/2013 के तहत) पर बोर्ड द्वारा कुछ समय से विचार किया जा रहा था।

3. अतः रेलवे क्वार्टर आबंटित करने/अपने पास रखने और एक ही श्रेणी के कर्मचारियों के लिए किराया प्रभारित करने से संबंधित मौजूदा प्रावधानों में छूट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए **बोर्ड ने सामान्य किराए पर 31.08.2009 के बाद और 31.03.2015 तक कार्योत्तर रियायत देने पर सहमति दे दी है।**

4. इसे रेल मंत्रलय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

5. कृपया पावती दें।

(एस. के. पांडा)
उप निदेशक, स्थापना (सामान्य)

सं. ई(जी)2007 क्यूआर1-5 नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2014

प्रतिलिपि को अग्रेषित :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां ।
2. संयुक्त निदेशक (वित्त), अअमासं, लखनऊ ।